

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

29893076404

Dr. Bhawana Singh Joining Letter

कार्यालय सि	वव जनभागीदारी समिति
शासकीय तुलसी महार्गि	वैद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
क्रमांक 605 स्थान 2022	अनूपपुर, दिनांक
प्रति, नाम <u>इंट आवना सिंह</u> - पिता /पति क्षी पुळान्द रि पता सकान सं १६, सि	
विषय:अतिथि विद्वानों को सत्र 2021-22 संदर्भ:1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शास दिनांक 30.06.2021	
विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्श अामंत्रित किया जाता है। यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन 1. यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन 1. यह आमंत्रण सत्र 2021–22 में 1 क्रीड़ाधिकारी की पदस्थापना / नियुक्ति हो 2. आपको महाविद्यालय में तीन दिवस निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर 3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घंटे विसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंन्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कि क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य वृद्धि। जा सकती है। 4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन के होगा। 5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित 6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना प्र	भेत पत्रों के परिपालन में आपको शासकीय महाविद्यालय जिल्हा के 2021-22 के लिए विषय कि शास्त्रीय महाविद्यालय हेतु होगा:— 2 माह अथवा नियमित प्राध्यापक / सहा. प्राध्यापक / ग्रंथपाल / ने तक के लिए होगा। के अंदर (कार्यालयीन समय) तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम के अविरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडिलय करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में निति / निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 के अनुसार
सकेगा। 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या शासकीय/अर्द्धशासकीय / अशासकीय रे 8. आपको म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा वि	न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य तेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। भाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एफ 1–42/2017/38–1 भोपाल शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होगी। में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित णीयों के अध्याधीन रहेगा।
	Mauri
	VIEW TO STAND ABIND WHULV
	(444) And the state of the stat
पृ.क. / 5 85 / स्था-/ २०२२ प्रतिलिप-	Dist. Aruppur (M.P.) 8, 4,2822
1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा	रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
2. कार्यालयीन प्रति।	
0	gary -
O	प्राचार्य RHIELPAL
PRÌNCÍPAL Govt. Tulsi College An Dist. Anuppur (M.)	uppur जनभा. सर्मिति ^v शा ^र पुँखे सि । । । । । । । । । । । । । । । । । ।